

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - उनि/सशि/पुप्रप/एफ-2057/केन्द्रीय क्रय/2021-22/11-12 दिनांक - 23/10/2021

::विज्ञप्ति::

केन्द्रीय क्रय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु अनुमानित राशि रुपये 52.00 लाख की पुस्तकें क्रय की जानी है। इच्छुक प्रकाशक निर्धारित प्रपत्र के साथ संबंधित पुस्तकों की एक-एक निशुल्क नमूना प्रति दिनांक **22.10.2021** तक कार्यालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर परिसर) को वाहक स्तर अथवा पंजीकृत डाक से अपने व्यय पर प्रेषित करें। पुस्तक क्रय के लिए निम्नानुसार शर्तें रहेगी :-

- वर्ष 2018 अथवा उसके पश्चात् प्रकाशित पुस्तकें ही क्रय की जाएगी।
- पुस्तकों में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय आदि) का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
- संस्करण वर्ष, पुस्तक का मूल्य, पुस्तक के अन्दर के पृष्ठ पर मुद्रित होना चाहिए। बिना मुद्रित मूल्य और स्लिप चिपकाकर अथवा रबड़ स्टाम्प या अन्य विधि से दर्शित मूल्य वाली पुस्तकें अथवा केवल कवर पृष्ठ पर मुद्रित मूल्य वाली पुस्तकों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि प्रकाशक अपनी पुरानी पुस्तक को नया नाम, प्रकाशन वर्ष, मूल्य परिवर्तित कर प्रेषित करेंगे तो उसी क्रय नहीं किया जाएगा तथा इसे अपराधिक कृत्य माना जाकर, भविष्य में उस प्रकाशक से कभी भी पुस्तकें क्रय नहीं करने का निर्णय लिया जा सकता है।
- पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि (न्यूनतम 70 जीएसएम) के कागज पर तथा पुस्तक का शीर्षक पृष्ठ पुस्तक के साथ संलग्न होना चाहिए।
- जिन पुस्तकों को क्रय किया जाएगा, उन पर प्रकाशक को शीर्षकवार निम्नानुसार न्यूनतम छूट देनी होगी:-
 - 25 प्रतियों तक के लिए - 15 प्रतिशत
 - 100 प्रतियों तक के लिए - 20 प्रतिशत
 - 200 प्रतियों तक के लिए - 30 प्रतिशत
 - 200 प्रतियों से अधिक के लिए - 35 प्रतिशत
- प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत नमूना पुस्तक का मूल्य उसकी पृष्ठ संख्या, पेपर क्वालिटी एवं साईज के अनुरूप होना चाहिए। पुस्तक आपूर्ति के साथ प्रकाशक को अपने प्रकाशक का क्रेडिटलॉग भी देना होगा।
- पुस्तक क्रय में पुस्तकालय एडिशन के अतिरिक्त पेपर बैक एडिशन भी मान्य होगा। बशर्त वह लेमिनेटेड हो तथा उसका मूल्य पुस्तकालय एडिशन की तुलना में पर्याप्त कम हो।
- प्रकाशक को नमूना पुस्तक के साथ यह रापथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम मूल्य पर उस पुस्तक का कहीं भी विक्रय नहीं किया गया है एवं पुस्तक के विक्रय संबंधी अधिकार उनके पास निहित है।
- क्रय आदेश में वर्णित निर्धारित अवधि में यदि कोई प्रकाशक क्रय आदेश के अनुसार पूर्ण या उसके किसी भाग की पालना करने में असमर्थ रहता है तो प्रकाशक से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार शास्ति आरोपित की जाएगी।
- चयनित पुस्तकों की प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को होगा।
- नमूना पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए ज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक मूल्यों के उन्नयन में सहायक, स्वरोजगार, नेतृत्व क्षमता, महापुरुषों यथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगतसिंह आदि के आदर्शों पर, देशभक्ति, तर्क शक्ति, मनोरंजन, कौशल विकास, सामान्य ज्ञान, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने आदि जैसी संदर्भ पुस्तकें होनी चाहिए।
- नमूना पुस्तकों में ऐसा कोई शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे अथवा विद्यार्थियों की मन:स्थिति/चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी भाग में इस प्रकार की किसी भी विसंगति पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रकाशक की होगी तथा समिति के निर्णयानुसार प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

14. केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा उनके अधीन प्रकाशक संगठनों यथा एनबीटी/एनसीईआरटी/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तकें क्रय करने पर उनके द्वारा निर्धारित राज्य सरकारों को प्रदान की जाने वाली छूट नियमानुसार स्वीकार्य होगी।
15. नमूना पुस्तक/पुस्तकें अपने अग्रेषण पत्र पर पुस्तकों के साथ पुस्तक के संबंध में वांछित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल शीट, हिन्दी में Kruti dev 010 font साईज 14 एवं अंग्रेजी में Times new roman font size 12 में तैयार कर अग्रांकित प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक ईमेल—kendriyakray.edu2021@gmail.com पर प्रेषित करेंगे:-

क्र. सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम, पता, ई-मेल एवं दूरभाष नं.	मूल्य	प्रकाशन वर्ष एवं संस्करण	पृष्ठ संख्या	IS BN No	विषय	विषय वस्तु	पुस्तक का आकार	पुस्तक में उपयुक्त कागज का विवरण (किस्म, जीएसएम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रकाशक का ई-मेल पता:-

16. ऐसे प्रकाशक जो अपने अधीन अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से पुस्तकें आपूर्त करना चाहते हैं, उन्हें प्रस्तुतीकरण के समय ही अपने अभिकर्ता/प्रतिनिधि के नाम का अधिकृत पत्र पुस्तक आपूर्ति व बिल इत्यादि भिजवाने की स्पष्ट सहमति प्रस्तुत करनी होगी।
17. क्रय के लिए चयनित पुस्तकों की आपूर्ति, प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत नमूना प्रति के अनुरूप ही करनी होगी। किसी पुस्तक को बिना बताए अस्वीकृत करने का अधिकार राज्य स्तरीय समिति को होगा।
18. नमूना पुस्तक में दर्शित आईएसबीएन नम्बर के जारी होने के पत्र की अभिप्रमाणित प्रति (राजपत्रित अधिकारी एवं प्रकाशक के स्वयं के द्वारा) जमा करवाई जानी आवश्यक है।
19. प्रकाशक को यह रापथ-पत्र जमा करवाना होगा कि उनके द्वारा प्रस्तुत नमूना पुस्तक पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है। परीक्षण में गलत पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा कर प्रकाशक को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा।
20. चयनित पुस्तक के प्रकाशक को अपना पैन कार्ड की छायाप्रति देनी होगी। वे प्रकाशक जिनकी वार्षिक टर्न ओवर राशि रुपये 40.00 लाख से अधिक है, के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी (GST may be applicable)।
21. नमूना प्रति के साथ प्रकाशक को अपने कार्यालय का वर्तमान पूर्ण पता अंकित कर 10*22 का लेमिनेटेड लिफाफा जमा करवाना होगा।
22. शर्तों के संबंध में आवश्यक रापथ-पत्र प्रकाशक के लेटर पैड पर मोहर लगा कर देना होगा।
23. किसी भी प्रकार का वाद-विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र बीकानेर स्थित न्यायालय होगा।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक - उनि/सशि/पुप्रप/एफ-2057/केन्द्रीय क्रय/2020-21/13

दिनांक - 23/09/2021

::विज्ञप्ति::

कार्यालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय क्रय योजना के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु अनुमानित राशि रुपये 52.00 लाख की पुस्तकें क्रय की जानी है। इच्छुक प्रकाशक निर्धारित प्रपत्र के साथ पुस्तकों की एक-एक निःशुल्क नमूना प्रति दिनांक **22.10.2021** तक कार्यालय उपनिदेशक, समाज शिक्षा राजस्थान (कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर परिसर) को डाक स्तर पर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा अपने व्यय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। रेलवे/द्वारापोस्ट के माध्यम से प्रेषित पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएगी।

पुस्तक क्रय की विस्तृत शर्तें माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट - www.education.rajasthan.gov.in/secondary एवं एसीपीपी पोर्टल पर देखी जा सकती है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर